भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1543
20 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा छात्रों और चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएं

1543 श्री आर. गिरिराजनः
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्लाः
श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश और विदेश में औषधि, नई चिकित्सा पद्धतियों और चिकित्सा अनुसंधान आदि के क्षेत्र में चल रहे नवाचारों के संबंध में चिकित्सा छात्रों और चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग/भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (डीएचआर/आईसीएमआर) ने भारत में नैदानिक प्रशिक्षण/ ट्रांस्लेशनल रिसर्च के लिए कार्यशालाओं को वित्तपोषित किया है। इस कार्यक्रम के तहत नैदानिक प्रशिक्षण और ट्रांस्लेशनल रिसर्च पर कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए भारत में विभिन्न सरकारी या निजी संगठनों/संस्थानों/मेडिकल/डेंटल कॉलेजों/एनजीओ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। "नैदानिक प्रशिक्षण" पर कार्यशालाएं जैव-चिकित्सा अनुसंधान के चयनित/संबंधित क्षेत्र में चिकित्सा छात्रों या युवा चिकित्सकों/वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं/नर्सों/चिकित्सा तकनीशियनों को किसी विशिष्ट नैदानिक प्रक्रियाओं के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने से संबंधित हैं। " ट्रांस्लेशनल रिसर्च" नैदानिकी, चिकित्सा शास्त्र, टीके और प्रयोगशालाओं के कार्यों के संदर्भ में किसी भी प्रमुख उपलब्धि पर कार्यशालाओं से संबंधित है, जिनका दक्षता और प्रभावकारिता के लिए परीक्षण किया गया है और समाज के लिए उत्पादों के रूप में तैयार करने के लिए है।

आईसीएमआर चिकित्सा/स्वास्थ्य अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देशों में भारतीय जैव-चिकित्सा वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम नवाचारों, अनुसंधान और विकास से डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों को अवगत रखने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम शुरू किया था और अपने लाइसेंस का नवीनीकरण हेतु डॉक्टरों के लिए सीएमई के तहत हर पांच साल में कम से कम 30 घंटे उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया था। डॉक्टर देश में चिकित्सा संस्थाओं द्वारा

प्रस्तावित सेमिनारों और कार्यशालाओं के माध्यम से सीएमई क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। हाल ही में, डॉक्टर विभिन्न ऑनलाइन सीएमई शिक्षा प्रदाताओं से भी सीएमई जारी रख सकते हैं।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) चिकित्सा साधनों (नैदानिकी, प्रत्यारोपण, उपकरण सहित) में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और उन्हें अपनाने सहित अकादमिक क्षेत्र के अनुसंधान प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है। बायोडिजाइन कार्यक्रम के माध्यम से, डीबीटी नैदानिक विसर्जन प्रक्रिया के माध्यम से किफायती चिकित्सा उपकरणों को विकसित करने के लिए चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विज्ञान विषयों में युवा स्नातकों को फेलोशिप प्रदान करता है।

*****